

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 208/11
 संस्थापन दिनांक:-27/07/11
 फाईलिंग नं. 233504000512011

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

प्रहलाद पिता छोटे पवार
 उम्र 32 वर्ष, निवासी नांदपुर,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

—: (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 24.10.2016 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294, 324, 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 12.07.2011 को समय 12:30 बजे ग्राम नांदपुर का बड़ई इलाका थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत सार्वजनिक स्थान या उसके समीप फरियादी संदीप आसोले को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी संदीप के सिर पर कुल्हाड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 12.07.2011 को दिन 12.30 बजे बड़ई वाले इलाके में ढोर चरा रहा था तभी वहां अभियुक्त हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आया और उसे मादरचोद की गाली देकर ढोर चराने से मना किया। उसके द्वारा गाली देने से मना करने पर अभियुक्त ने उसे सिर के पीछे तरफ कुल्हाड़ी से मारा। अभियुक्त ने उसे जान से खत्म करने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अपराध क्र. 192/15 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त से एक लोहे की कुल्हाड़ी मय बेसा के जप्त कर जप्ती पत्रक एवं अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर लोक स्थान या उसके समीप फरियादी संदीप आसोले को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया ?
2. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी संदीप के सिर पर कुल्हाड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
3. क्या अभियुक्त ने घटना, दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
4. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क. 01 एवं 03 का निराकरण

5 संदीप (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में अभियुक्त द्वारा उसे गाली गालौच या अश्लील शब्द उच्चारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। इस संबंध में प्रकरण के स्वतंत्र साक्षी गोविंद (अ.सा.-1) एवं सूरतलाल (अ.सा.-4) ने भी उनके न्यायालयीन कथनों में कोई कथन नहीं किये हैं। ऐसी स्थिति में उक्त अपराध के संबंध में साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्त पर लगे धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

6 साक्षी संदीप (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय अभियुक्त ने उसे जान से खत्म करने की धमकी दी थी परंतु अभियुक्त द्वारा उपरोक्त धमकी दिये जाने के पश्चात ऐसा कोई आचरण किया जाना अभियोजन साक्ष्य से दर्शित नहीं हुआ जिससे यह परिलक्षित हो कि अभियुक्त का उसके द्वारा दी गयी धमकी को क्रियान्वित करने का आशय रहा हो। अतः मारपीट के समय दी गई धौंस मात्र से धारा-506 भाग-2 भा0दं0सं0 का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

7 संदीप (अ.सा.-2) ने न्यायालयीन मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि वह घटना के समय ढोर चरा रहा था तभी अभियुक्त प्रहलाद ने कुल्हाड़ी से उसके सिर के पीछे तरफ मार दिया। सुखलाल (अ.सा.-4) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना दिनांक को वह फरियादी संदीप के घर गया था तो उसने देखा कि संदीप के सिर से खून निकल रहा था, पूछने पर संदीप ने यह बताया था कि प्रहलाद ने कुल्हाड़ी से मारा था।

8 डॉ. चित्रकला पाटिल (अ.सा.-7) ने दिनांक 12.07.2011 को सीएचसी आमला में मेडिकल आफिसर के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत संदीप का परीक्षण किये जाने पर आहत के सिर पर 2 गुणा 2 सेमी. एवं 5 गुणा 4 गुणा 1 सेमी. आकार के अलग अलग घाव एवं दाहिने हाथ की कोहनी पर सूजन एवं लालिमा तथा दाहिने पैर एवं बांये घुटने के उपर दर्द पाया जाना प्रकट करते हुए उसके द्वारा तैयार चिकित्सकीय प्रतिवेदन (प्रदर्श प्री-6) पर अपने हस्ताक्षर को प्रमाणित किया है। उपर्युक्त साक्षी तथा साक्षी संदीप (अ.सा.-2) एवं सुखलाल (अ.सा.-4) के कथनों से अभियोजन द्वारा वर्णित समयावधि में आहत संदीप के सिर पर चोट होने के तथ्य की संपुष्टि होती है।

9 बसंत मिरासे (अ.सा.-6) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 12.07.2011 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए फरियादी संदीप द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध रिपोर्ट लेख कराये जाने पर अपराध क्र. 192/11 में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-2) लेख किया जाना प्रकट करते हुए दिनांक 13.07.2011 को घटना का नक्शा मौका (प्रदर्श प्री-3) तैयार किया जाना, अभियुक्त से साक्षी राजेश एवं भीमराव के समक्ष कुल्हाड़ी जप्त कर (प्रदर्श प्री-4) का जप्ती पत्रक बनाना एवं अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-5) का गिरफ्तारी पत्रक बनाया जाना प्रकट किया है। साथ ही उक्त साक्षी ने उपर्युक्त प्रपत्रों पर अपने हस्ताक्षर भी प्रमाणित किये हैं।

10 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि किसी भी चक्षुदर्शी साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है। अभिलेख पर केवल आहत संदीप के कथन हैं जिसके कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है तथा अभियुक्तगण से आहत संदीप की पूर्व से रंजिश है इसलिए अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

11 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में साक्षी गोविंद (अ.सा.-1) एवं भीमराव (अ.सा.-3) ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा उपर्युक्त साक्षीगण से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले

प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षीगण के कथनों से अभियोजन को कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है। उपर्युक्त साक्षीगण ने अपने पुलिस कथनों से भिन्न कथन न्यायालय में किये हैं। सामान्यतः ग्रामीण परिवेश में कोई भी व्यक्ति किसी के पक्ष या विपक्ष में गवाही देने से बचता है। ऐसी स्थिति में उपर्युक्त साक्षीगण के अभियोजन कथा का समर्थन न किये जाने मात्र से अभियोजन का संपूर्ण मामला धराशायी नहीं हो जाता है। सूरतलाल (अ.सा.-4) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसने फरियादी संदीप के सिर से खून निकलते देखा था और पूछे जाने पर संदीप ने ये बताया था कि प्रहलाद ने कुल्हाड़ी से मारा है परंतु प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह बताया है कि उसे संदीप ने यह बताया था कि वह पैर फिसलने से गिर गया था जिससे उसके सिर में चोट आयी थी तथा पैरा क्र. 03 में यह बताया है कि फरियादी संदीप ने उसे प्रहलाद के द्वारा कुल्हाड़ी से मारने वाली बात नहीं बतायी थी। इस तरह से उक्त साक्षी अपने कथनों पर स्थिर नहीं है इसलिए उसके कथनों पर विश्वास कर कोई भी निष्कर्ष लिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

12 प्रकरण में मात्र संदीप (अ.सा.-2) की साक्ष्य उपलब्ध है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि किसी भी मामले को प्रमाणित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है। आहत घटना का सर्वोत्तम साक्षी होता है। यदि उसकी साक्ष्य विश्वसनीय हो तो एकमात्र उसके कथनों पर अभियोजन के मामले को प्रमाणित माना जा सकता है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **भजनसिंह उर्फ हरभजनसिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 2552** उल्लेखनीय है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि एक आहत साक्षी की साक्ष्य पर विश्वास किया जाना चाहिए जब तक कि उसकी गवाह को निरस्त करने के आधार अभिलेख पर न हो जो कि उसकी साक्ष्य में बड़े विरोधाभास या कमी के रूप में हो सकते हैं। अतः प्रकरण में यह देखा जाना है कि संदीप (अ.सा.-2) के कथनों पर विश्वास किया जा सकता है अथवा नहीं।

13 संदीप (अ.सा.-2) ने न्यायालयीन परीक्षण में अभियुक्त प्रहलाद द्वारा कुल्हाड़ी से सिर के पीछे की तरफ मारा जाना बताया है। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण यह बताया है कि घटना के समय उसके अलावा कोई नहीं था तथा किसी ने झगड़ा होते नहीं देखा। साक्षी ने यह भी बताया है कि उसकी अभियुक्त से कोई बातचीत नहीं हुई थी। प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 05 में बचाव के इस सुझाव को गलत बताया है कि नुकिले पत्थर पर गिर जाने से उसे चोट आयी थी। स्वतः में यह कहा है कि उसे अभियुक्त ने कुल्हाड़ी से मारा था इसलिए उसे चोट आयी थी। इसी पैरा में उक्त साक्षी ने बचाव के इस सुझाव को भी गलत बताया है कि पीछे से उसे कुल्हाड़ी किसने मारा था वह देख नहीं पाया था। स्वतः में उक्त साक्षी ने कहा है कि जैसे ही अभियुक्त ने उसे कुल्हाड़ी से मारा तो उसने पकड़ लिया था। प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 06 में साक्षी ने यह बताया है कि वह घटना स्थल से सीधे घर आ गया था, घटना के बारे में किसी को नहीं बताया था। उक्त

साक्षी ने यह भी बताया है कि घटना स्थल उसके गांव से एक किलोमीटर दूर है। जब वह घर पहुंचा तो उसने घटना के बारे में अपने काका सूरत को बताया था।

14 अभियोजन कथा अनुसार जब फरियादी ढोर चरा रहा था तभी अभियुक्त ने उसे गाली देकर कहा कि यहां पर मत चराओ और कुल्हाड़ी से फरियादी को मारा जिससे उसके सिर के पीछे तरफ दो जगह चोटें आयी। झगड़ा गोविंद एवं राजेश ने देखा तथा फरियादी द्वारा घर आकर अपने काका सूरत को घटना की जानकारी दी गयी। जबकि साक्षी संदीप (अ.सा.-2) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त प्रहलाद ने कुल्हाड़ी से उसके सिर के पीछे तरफ मारा तथा प्रतिपरीक्षण में अभियुक्त प्रहलाद से किसी भी प्रकार की कोई बोलचाल न होना तथा किसी भी व्यक्ति के द्वारा घटना को न देखा जाना बताया है तथा प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह बताया है कि जब वह रिपोर्ट लिखाने गया था तो उसे थोड़ा थोड़ा होश था और कुछ बातें उसने तथा कुछ बातें उसके भाई ने लिखवायी थी जबकि प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह बताया है कि वह घटना स्थल पर अकेले था और जब अभियुक्त प्रहलाद ने जब उसे मारा तब वह घटना स्थल से सीधे अपने घर आया और रास्ते में भी किसी को नहीं बताया। इस तरह से उक्त साक्षी के कथन मानवीय स्वभाव के अनुरूप नहीं हैं क्योंकि यह अस्वाभाविक प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति जिसे सिर पर कुल्हाड़ी से दो चोटें लगी हों वह अकेले घटना स्थल से घर तक आ जाये उस समय उसे पूर्ण होश हो और वह अकेले पैदल आ जाये और जब रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने जाये तब उसे होश न हो।

15 डॉ. चित्रकला पाटिल (अ.सा.-7) ने आहत संदीप के सिर में दो अलग अलग चोटें पायी थी परंतु उक्त चोटें सख्त एवं बोथरे वस्तु से आने की संभावना अपने कथनों में प्रकट की है। इसके अतिरिक्त आहत की दाहिनी हाथ की कोहनी में सूजन तथा दाहिने पैर एवं बांये घुटने के उपर दर्द भी था। सिर पर आयी चोटों के अतिरिक्त आहत के शरीर पर आयी अन्य चोटों के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण आहत के कथनों से प्रकट नहीं होता है तथा आहत संदीप ने स्पष्ट रूप से यह बताया है कि उसे अभियुक्त प्रहलाद ने सिर पर पीछे की तरफ कुल्हाड़ी से मारा था और फिर उसने अभियुक्त प्रहलाद का हाथ पकड़ लिया था। स्पष्टतः संदीप के कथन अनुसार उसे अभियुक्त प्रहलाद के द्वारा उस पर मात्र एक प्रहार किया गया तब ऐसी स्थिति में उसके सिर पर दो चोटें आने के संबंध में भी कोई स्पष्टीकरण उसके कथनों से प्रकट नहीं हो रहा है। साथ ही सिर में आयी चोट धारदार वस्तु से कारित होना प्रमाणित नहीं पाया गया है। तब ऐसी स्थिति में जबकि आहत के कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है तथा उसके कथन अभियोजन कथा के अनुरूप भी नहीं है। उसके शरीर पर आयी अन्य चोटों के संबंध में कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है। स्वयं आहत ने किसी भी व्यक्ति के द्वारा घटना न देखा जाना बताया है, तब ऐसी स्थिति में युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि अभियुक्त ने धारदार हथियार

कुल्हाड़ी से आहत/फरियादी सिर पर प्रहार कर उसके सिर पर स्वेच्छया उपहति कारित की।

विचारणीय प्रश्न क. 04 का निराकरण

16 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी संदीप आसोले को मां बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी संदीप के सिर पर कुल्हाड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः अभियुक्त प्रहलाद को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 324, 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

17 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

18 प्रकरण में जप्तशुदा लोहे की एक कुल्हाड़ी मय बेसा के अपील अवधि पश्चात नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार संपत्ति का व्ययन किया जावे।

19 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)